प्रस्तावना

<u>भाग-1</u>

<u>भाग-2</u>

<u>भाग-3</u>

<u>भाग-4</u>.

<u>भाग-4-A</u>

भाग-5- राष्ट्रपति-

राष्ट्रपति के कार्य या शक्तियां (President's functions or powers)

इनकी शक्तिया दो प्रकार की होती है।

(1)- सामान्य शक्ति General power (2) आपातकालीन शक्ति Emergency power

- कार्यपालिका शक्ति Executive Power
- सैन्य शक्ति Military Power
- विधायी शक्ति Legislative Power
- प्रशासनिक शक्ति Administrative Power
- न्यायीक शक्ति Judicial Power
- कूटनीति शक्ति Diplomatic Power

1. राष्ट्रिय आपात काल National Emergency
2. राष्ट्रपति शासन President's Rule
3. वित्तीय आपातकाल Financial Emergency

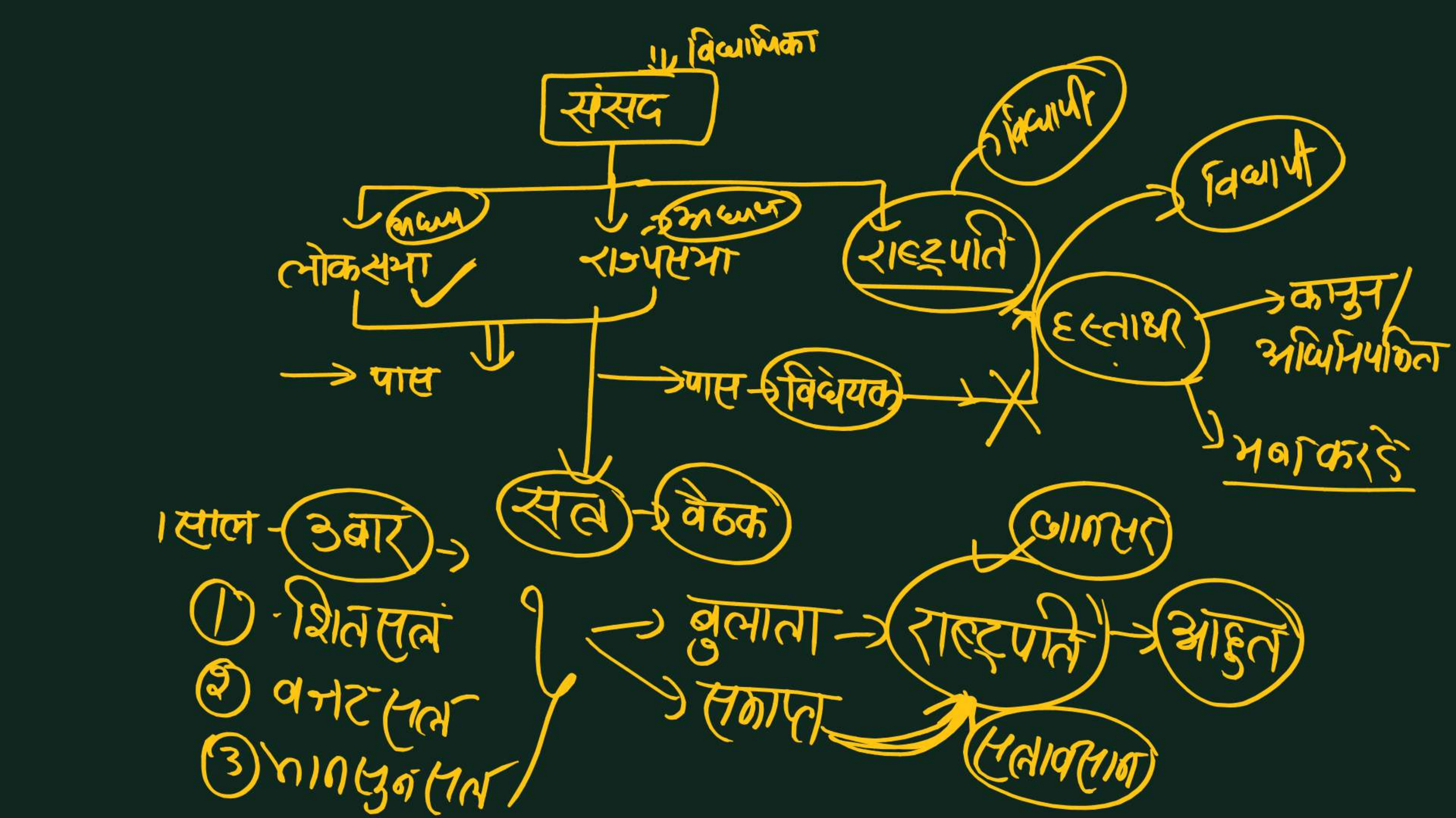

विधायिका
संसद
लोकसभा
राज्यसभा
राष्ट्रपति
विधायी
विधायी
हस्ताक्षर
कानून/अधिनियम
मना कर दे
पास
पास
विधेयक
सत्र
बैठक
1 साल - 3 बार
(1) शीत सत्र
(2) बजट सत्र
(3) मानसून सत्र
बुलाता
राष्ट्रपति
आहूत
समाप्त
सत्रावसान

①विधायी शक्ति Legislative Power-

- राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है , जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। The President is a part of the Parliament, without whose signature no bill can become law.
- यह संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान करता है। It summons and prorogues the session of the Parliament.
- राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की निषेधाधिकार की शक्तियां हैं , The President has 3 types of veto powers,

1. आत्यंतिक या सम्पूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति Power of absolute or complete prohibition
2. निलंबनकारि निषेधाधिकार की शक्ति Suspended Vito power
3. जेवी निषेधाधिकार की शक्ति Pocket Vito Power

1.आत्यंतिक या सम्पूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति absolute or complete Vito power

संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो वह विधेयक कानून नहीं बन पायेगा।
पेप्सु विधेयक , 1954 पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका प्रयोग किया था।

If the President refuses to sign a bill passed by both houses of Parliament, then that bill will not become law. It was used by the then President Rajendra Prasad on the PEPSU Bill, 1954.

2.निलंबनकारि निषेधाधिकार की शक्ति Suspended Vito power-

संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज दे , और उसी विधेयक को संसद वापस भेज दे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होगा। If the President sends a bill passed by both Houses of Parliament back to the House for reconsideration, and sends the same bill back to Parliament, then the President will be bound to sign it.

→ संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति - के पास (२ बार)

→ राष्ट्रपति 1 बार वापस कर सकता है।

3. जेवी निषेधाधिकार की शक्ति Pocket Vito Power

संसद के दोनों सदनों के दवारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने दिन में हस्ताक्षर करेगा , यह संविधान में निश्चित नहीं है , अर्थात विधेयक को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए रोक सकेगा , यह राष्ट्रपति का सबसे स्वतंत्र वीटो पावर है।

The number of days in which the President will sign the bill passed by both the Houses of Parliament is not fixed in the Constitution, that is, the President will be able to stop the bill indefinitely, this is the most independent veto power of the President.

डाक संशोधन विधेयक 1986 पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। It was used by the then President Giani Zail Singh on the Postal Amendment Bill 1986.

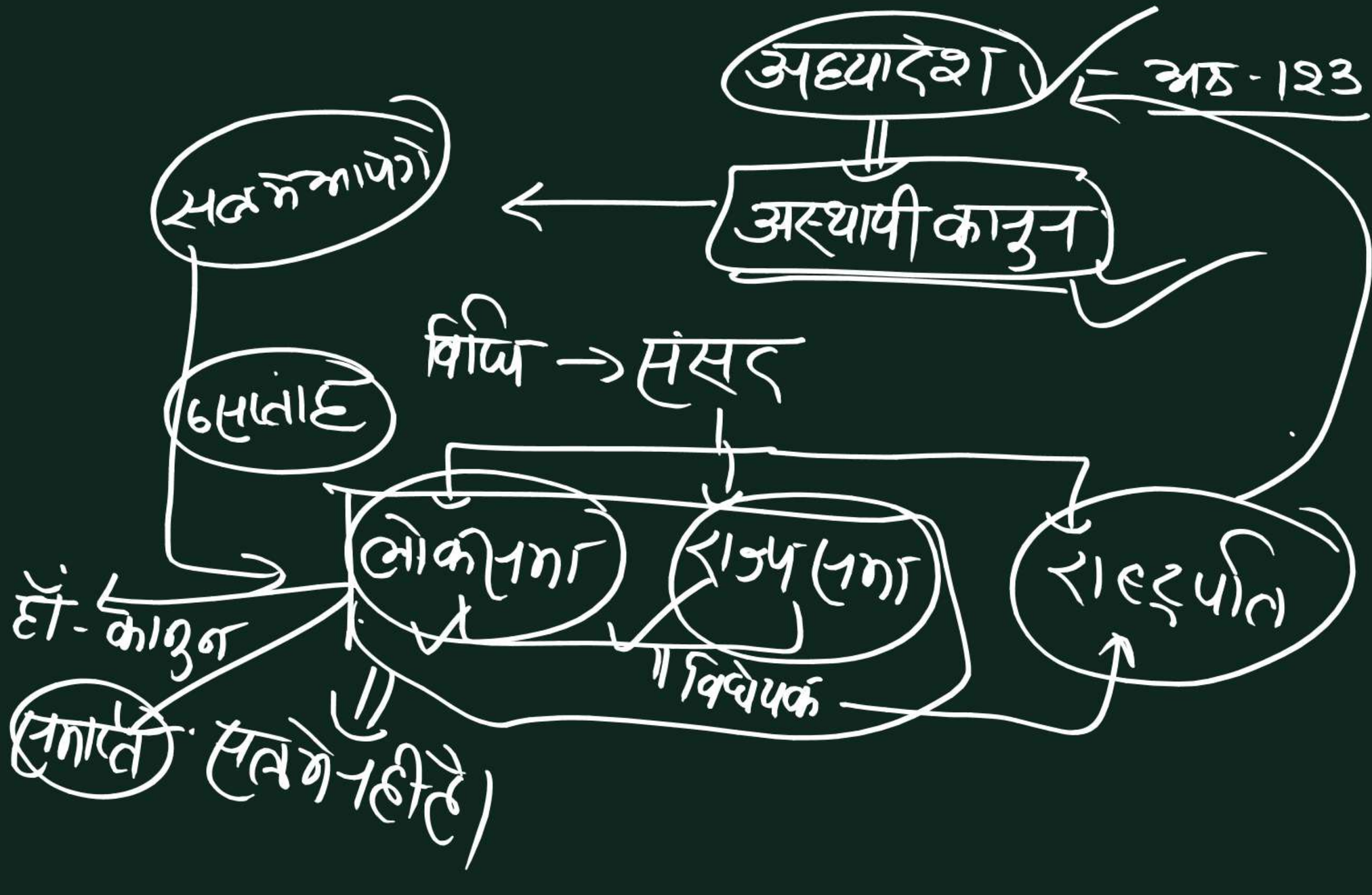

अध्यादेश
अनु·123
अस्थायी कानून
सत्र में आयेगा
सत्र होता है
विधि → संसद
लोकसभा
राज्यसभा
राष्ट्रपति
हाँ - कानून
विधेयक
समाप्त
सत्र में नहीं है।

अनु 123 -राष्ट्रपति का अध्यादेश - अस्थायी कानून - President's Ordinance - Temporary Law –

जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के शक्ति के बराबर अस्थायी कानून जारी कर सकता है। जिसे अध्यादेश कहते है। संसद के सत्र में आने पश्चात 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। When one or both houses of the Parliament is not in session, then in such a situation the President can issue a temporary law equal to the power of the Parliament. Which is called ordinance. It will be mandatory to obtain approval from both the Houses within 6 weeks after Parliament comes into session.

संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है जिसे दीर्घवकाश कहते है।It will be mandatory to obtain approval from both the Houses within 6 weeks after Parliament comes into session.

अर्थात अध्यादेश की अधिकतम अवधी 6 माह + 6 सप्ताह = 7 ,1/2 माह होगा।

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING